



**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

**कादर नवाज़ ख़ान**  
कार्यकारी कुलसचिव  
**Kadar Nawaz Khan**  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02-41/2021  
दिनांक : 02.03.2021

### परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या 003/2003/का.आ./02-23/2021 दिनांक 09.02.2021 के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रावास में वापस आने की अनुमति प्रदान की गई थी।

महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों/शोधार्थियों ने छात्रावास में आने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं की है वे अगली सूचना तक अपनी यात्रा प्रारंभ न करें।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**कादर नवाज़**  
(कुलसचिव)  
०२/०३/२१

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. कुलानुशासक कार्यालय
4. समस्त छात्रावास अधीक्षक
5. वित्त विभाग
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली